वित्त निर्देश 02/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्र. 23/314/10/वित्त/नियम/चार   रायपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा के स्थाई सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः-1. सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 10-1/2007/1-3 दिनांक 11.06.2007
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28 अप्रैल, 2008
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 218/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार दिनांक 4 अगस्त, 2010

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11.06.2007 द्वारा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के नियमित सदस्यों के लिए दिनांक 01.04.2007 से राज्य शासन के नियमित कर्मचारियों के अनुरूप क्रमोन्नति योजना लागू की गई है । राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित तथा समयबद्ध अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28.04.2008 एवं ज्ञापन दिनांक 04.08.2010 द्वारा समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने संबंधी योजना लागू की गई है ।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 28.04.2008 एवं दिनांक 04.08.2010 द्वारा लागू की गई समयमान वेतनमान योजना का लाभ उपर्युक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के स्थाई सदस्यों को भी दिया जाये । समयमान वेतनमान हेतु

निर्धारित सेवा की गणना कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से की जावेगी ।

3. ये आदेश दिनांक 01.04.2007 से प्रभावशील होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्र. 24/314/10/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2011

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग